न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
108/2001	20.6.2001	29.9.2025

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ---प्रार्थी

बनाम

1. व्यवस्थापक, आदिवासी छात्रावास गंगापुर
2. सूरजमल पुत्र मिश्रीलाल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर ---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थितः– नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी, पैरोकार सरकार
श्री हषवर्धन शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से
श्री महेशचन्द अग्रवाल, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मौजा नामनेर के गत ख0नं0 154 में 516 वर्गगज भूमि मैदा सूजी, आइसक्रीम मिल औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रतिवादी नं0 2 सूरजमल पुत्र मिश्रीलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर को आवंटित की गई थी। गत ख0नं0 154 का हाल ख0नं0 71 बना है जिसकी खातेदारी मुताबिक हाल राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी नं0 1 आदिवासी छात्रावास के नाम अंकित है। ख0नं0 71 का रकबा 2.81 है0 है। उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण ने आवंटित प्रयोजन से भिन्न उपयोग किया है जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। खातेदारान एवं प्रतिवादी नं0 2 को उक्त भूमि केवल उद्योग प्रयोजन के लिए दी गई थी जिसका आवंटित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ कार्य किया है। इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त आराजी ख0नं0 71 रकबा 2.81 है0 वाके ग्राम नामनेर से बेदखल किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण ने आवंटित प्रयोजन से भिन्न उपयोग में ली जाकर भूमि का अवैध बेचान कर राज0 टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत कार्य किया है जो विषय विरूद्ध है। अतः प्रतिवादीगण को आराजी ख0नं0 71 रकबा 2.81 है0 वाके ग्राम नामनेर से बेदखल किया जाकर भूमि राज0 राज्य सरकार को दिलाई जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने रिपोर्ट पटवारी दिनांक 4.9.2000, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सं0 2054 से 2057, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2054 से 2057 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना ... नहीं हुए अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 20.3.2002 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:40:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से दिनांक 26.3.2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि प्रकरण में अप्रार्थी सूरजमल फौत होने के कारण उसका कायम मुकाम श्री दामोदर पुत्र मिश्रीलाल, ब्राह्मण निवासी सचिवालय के सामने, गंगापुर है।

इस प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम श्री दामोदर की तलवी की गई।

श्री दामोदर प्रसाद शर्मा की ओर से श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 3.3.2004 को जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने प्रार्थना पत्र में गत ख0नं0 154 से हाल ख0नं0 71 बनना बताया है। वास्तव में मिलान क्षेत्रफल की नकल से स्पष्ट होता है कि ख0नं0 71 रकबा 2.81 है0 गत ख0नं0 53/119, 53/115, 53, 54, 58 से बना है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में तथ्य गलत लिखे गए हैं। अप्रार्थी दामोदर प्रसाद ने रिहायशी मकान करीब 33 वर्ष पूर्व ही बना लिया था ऐसी स्थिति में धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत वाद मियाद बाहर पेश किया है क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय शिड्यूल पार्ट द्वितीय में धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मियाद तीन वर्ष उस समय से निर्धारित की गई है जब डिटरमेंटल एक्ट या भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया हो। इसलिए प्रकरण में सर्वप्रथम कानूनी बिन्दुओं पर बहस होना आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त आपत्तियों के तय होने से वाद का निस्तारण होकर वाद खारिज हो जावेगा। अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद खारिज फरमाया जावे।

इस जबाब के साथ अप्रार्थी की ओर से नकल मिलान क्षेत्रफल की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से दिनांक 6.1.2006 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि प्रकरण में श्री दामोदर प्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण फौत हो गया है जिसके वारिस उसके पुत्र विशम्भरदयाल, मुकटबिहारी, गिर्राज प्रसाद, पूनमचन्द, कपिलदेव, पत्नि श्रीमति सम्पत्ति, पुत्री श्रीमति ऊषा देवी हैं। इसके अतिरिक्त वारिस नारायण (पुत्र) फौत हो गया है जिसके वारिस पुत्र पवन, पुत्री सुमन, सुनीता, पिंकी है। पुत्र गोविन्द पुत्र दामोदरप्रसाद फौत हो गया है जिसके वारिस पत्नि विमला, पुत्री पुष्पा है।

यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मृतक दामोदर प्रसाद के वारिसों को तलब किया। कायम मुकाम विशम्भरदयाल, मुकटबिहारी, गिर्राजप्रसाद, पूनम, पवन कुमार, सुनीता शर्मा, ऊषा शर्मा, [illegible] देवी, ओर से श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट ने वकालत[illegible] विमला देवी, कपिल देव शर्मा, पवन, सरला उर्फ पिंकी [illegible] ओर से श्री महेशचन्द अग्रवाल एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रस्तुत मामले में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषगण ने हमारा ध्यान नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 8 ग्राम नामनेर की ओर आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ख0नं0 71 रकबा 2.81 है0 को सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया है जबकि वर्तमान में यह ख0नं0 71 रकबा 2.81 है0 मंदिर श्री श्रीजी महाराज विराजमान जयपुर की खातेदारी में दर्ज है एवं मंदिर की भूमि को सिवायचक दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट चलने योग्य नहीं है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषगण द्वारा दिए गए इस तर्क पर नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 8 ग्राम नामनेर का अवलोकन किया गया। इस जमाबंदी के अनुसार ख0नं0 71 रकबा 2.81 है0 ग्राम नामनेर वर्तमान में मंदिर श्री श्रीजी महाराज विराजमान जयपुर की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ख0नं0 71 रकबा 2.81 है0 ग्राम नामनेर की सं0 2054 से 2057 की नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसमें ख0नं0 71 रकबा 2.81 है0 आदिवासी छात्रावास के नाम दर्ज है। इसके बाद यह भूमि सक्षम न्यायालय के आदेश से मंदिर श्री श्रीजी महाराज विराजमान जयपुर की खातेदारी में दर्ज हुई है तथा वर्तमान में भी यह भूमि मंदिर श्री श्रीजी महाराज विराजमान जयपुर की खातेदारी में ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में मंदिर के नाम दर्ज भूमि से खातेदार को बेदखल करने का कोई उचित कारण नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:04 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)